2018 का विधेयक संख्यांक 143

[दि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- 2017 का 12

(क) खंड (4) में,--

(i) "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (17) में, उपखंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ज) किसी घुड़दौड क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को उपलब्ध कराई गई सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं ; और ";

(ग) खंड (18) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (35) में, "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा ;

(ङ) खंड (69) में, उपखंड (च) में "अनुच्छेद 371" शब्द और अंक के पश्चात् "और अनुच्छेद 371ञ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) खंड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**–शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "सेवा" पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है ;' ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से,--

(क) उपधारा (1) में,--

'(i) खंड (ख) में, "चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं" शब्दों के पश्चात्, "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा और सदैव अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ;

(ii) खंड (ग) में, "क्रियाकलाप" शब्द के पश्चात्, "और" शब्द का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ;

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ;';

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी

और सदैव अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा ।";

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे मानो वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

'(i) "उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर" शब्दों के स्थान पर, "धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में, "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़ पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रुपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है ;"।

धारा 12 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 13 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "उपधारा (2) के" शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,--

(क) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**–इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है–

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो ;

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है ।";

(ख) खंड (ग) में, "धारा 41" शब्द और अंक के स्थान पर, "धारा 41 या धारा 43क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,--

(क) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य" पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।';

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :--

(अ) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग–

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :--

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान की और पूर्ति ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परंतु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा--

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

(ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो–

(I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है ; या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है ;

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति–

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ; और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो ।"।

धारा 20 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, "प्रविष्टि 84 के अधीन" शब्दों और अंक के स्थान पर, "प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,--

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को दस लाख रुपए से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए ;";

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" शब्दों के पश्चात् "और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।"।

धारा 24 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (x) में "वाणिज्य प्रचालक" शब्दों के पश्चात् "जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में,--

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है ।";

2005 का 28

(ख) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।"।

धारा 29 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में,--

(क) पार्श्व शीर्ष में, "रद्दकरण" शब्द के पश्चात् "या निलंबन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में

फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा ।";

(ग) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।"।

धारा 34 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 में,--

(क) उपधारा (1) में, --

(i) "कोई कर बीजक जारी किया गया है" शब्दों के स्थान पर "एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "जमा पत्र जारी" शब्दों के स्थान पर "किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में, --

(i) "कोई कर बीजक जारी किया गया है" शब्दों के स्थान पर "एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "नामे नोट" शब्दों के स्थान पर "किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट जारी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं।"।

धारा 39 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में,--

(क) उपधारा (1) में, --

(i) "ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।";

(ख) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।";

(ग) उपधारा (9) में,--

(i) "उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां आई हैं" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में "वित्तीय वर्ष की समाप्ति" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, समाप्ति" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 43क का अंत:स्थापन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया ।

"43क (1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा ।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(5) ऐसी जावक पूर्तियों में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा ।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा ।

(8) ऐसी जावक पूर्तियों, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा,--

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वह होगी, जो विहित की जाए ।

धारा 48 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, "प्रस्तुत करने के लिए" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में,--

(क) उपधारा (2) में, "धारा 41" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 41 या धारा 43क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में,--

(i) खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;";

(ii) खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"।

नई धारा 49क और 49ख का अंत:स्थापन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग।

"49क धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश।

49ख इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी ।"।

धारा 52 का संशोधन1

22. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (9) में, "धारा 37" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 37 या धारा 39" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 54 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में,--

(क) उपधारा (8) के खंड (क) में "शून्य रेटेड पूर्तियों" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमश: "निर्यात" और "निर्यातों" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (2) में,--

(i) उपखंड (ग) की मद (i) में, "विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात् "या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए,", शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(ङ) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;"।

धारा 79 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 79 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट "विशिष्ट व्यक्ति" सम्मिलित होंगे।"।

धारा 107 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खंड (ख) में, "बराबर राशि का" शब्दों के पश्चात्, ", अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

26. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के खंड (ख) में, "बराबर राशि" शब्दों के पश्चात्, ", अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 112 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (6) में, "सात दिन" शब्दों के स्थान पर, "चौदह दिन" शब्द रखे जाएंगे। धारा 129 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 140 में, 1 जुलाई, 2017 से,-- धारा 140 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "विवरणी में" शब्दों के पश्चात्, "पात्र शुल्कों का" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और सदैव अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण 1 में,--

(i) "उपधारा (3), उपधारा (4)", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4)", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) का लोप किया जाएगा और उसका सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण (2) में,--

(i) "उपधारा (5)", शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (5)", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) का लोप किया जाएगा और उसका सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(घ) इस प्रकार संशोधित स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और सदैव अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:--

'**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, "पात्र शुल्क और कर" पद में ऐसा कोई उपकर, जिसे स्पष्टीकरण 1 में या स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसा कोई उपकर भी सम्मिलित नहीं है, जिसका सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहण किया गया है।'।

1975 का 51

29. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-- धारा 143 का संशोधन ।

"परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमश: एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा ।"।

30. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 में, "कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा । अनुसूची 1 का संशोधन ।

अनुसूची 2 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के शीर्षक में, "क्रियाकलाप" शब्द के पश्चात् "या संव्यवहार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,--

(i) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"7. गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी स्थान से, गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति ।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति ।

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति ।"

(ii) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "भांडागार में रखे गए माल" पद का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसका है ।"। 1962 का 52

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को, केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों की अंतरराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण करने हेतु उपबंध करने के विचार से अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम विद्यमान कर संदाय प्रणाली से नई माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारु परिवर्तन हेतु कतिपय उपबंध करने के लिए उपबंध करता है । तथापि, नई कर व्यवस्था में कतिपय कठिनाईयां सामने आई हैं । करदाताओं, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों को हुई प्रमुख असुविधाओं में से एक असुविधा माल और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी फाइल करने और कर का संदाय करने की प्रक्रिया थी । इस संबंध में, प्रस्तावित विवरणी फाइल करने की नई प्रणाली, न्यूनतम दस्तावेजीकरण संबंधी कार्य के साथ लघु करदाताओं के लिए त्रैमासिक रूप से विवरणी फाइल करने और कर का संदाय करने की परिकल्पना करती है । विवरणी फाइल करने की नई प्रणाली को कार्यान्वित करने और साथ ही उपरोक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ।

3. प्रस्तावित केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं, अर्थात् :--

(i) पूर्ति के विस्तार क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 7 का संशोधन ;

(ii) केन्द्रीय सरकार को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 9 का संशोधन, जो अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकारों से कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की प्राप्ति के संबंध में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे ;

(iii) अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने, जिससे कि संयुक्त उद्ग्रहण की सीमा को एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर डेढ करोड़ रूपए किया जा सके ;

(iv) इनपुट कर प्रत्यय के विस्तार क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 17 का संशोधन ;

(v) अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने, जिससे विशेष प्रवर्ग राज्यों में रजिस्ट्रीकरण के लिए छूट की सीमा को दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए किया जा सके ;

(vi) अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने, जिससे करदाताओं को यह विकल्प प्रदान करना सुकर बनाया जा सके कि वे समान राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कारबार के बहु स्थानों के लिए बहु रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकें और विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विकासकर्ता के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध

करने ;

(vii) अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने, जिससे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रक्रियाधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी निलंबन के लिए उपबंध अंत:स्थापित किया जा सके ;

(viii) एक नई धारा 43 को अंत:स्थापित करने, जिससे विवरणी फाइल करने की और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की नई प्रणाली के लिए उपबंध किया जा सके ;

(ix) अपील से संबंधित अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) का संशोधन करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील फाइल करने के लिए संदेय पूर्व-जमा की रकम की अधिकतम सीमा को पच्चीस करोड़ रुपए तक नियत किया जा सके ;

(x) अधिनियम की धारा 129 का संशोधन करने, जिससे कि अभिवहन में माल और प्रवहण को निरुद्ध या उसका अभिग्रहण किए जाने से संबंधित अवधि को सात दिन से बढ़ाकर चौदह दिन किया जा सके ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 अगस्त, 2018

पीयूष गोयल

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का **खंड 1** संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 2** अधिनियम में प्रयुक्त कतिपय पदों का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 3** पूर्ति के विस्तार क्षेत्र को स्पष्ट करने की दृष्टि से "पूर्ति का विस्तार क्षेत्र" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 4** "उद्ग्रहण और संग्रहण" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के अधिसूचित वर्गों से अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकारों को कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की प्राप्ति के आधार पर प्रतिलोम प्रभार पर कर के उद्ग्रहण को, परिषद् की सिफारिशों पर, निर्बंधित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 5** "संयुक्त उद्ग्रहण" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जिससे किसी करदाता के संयुक्त स्कीम में पात्र होने के लिए आवृत्त की कानूनी ऊपरी सीमा को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ पचास लाख रुपए किया जा सके और संयुक्त करदाताओं को पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में आवृत्त के दस प्रतिशत से अनधिक या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी अधिकतम हो, की सेवा की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 6** "माल की पूर्ति का समय" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है और उक्त संशोधन प्रारूपण की प्रकृति का है ।

विधेयक का **खंड 7** "सेवाओं की पूर्ति का समय" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है और उक्त संशोधन प्रारूपण की प्रकृति का है ।

विधेयक का **खंड 8** सेवा की पूर्ति की दशा में, "बीजक से पोत को" माडल की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का उपबंध करने के लिए, मूल अधिनियम की "इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तों" से संबंधित धारा 16 का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए प्रस्तावित नई धारा 43क में विनिर्दिष्ट विवरणी के नए प्ररूप से संबंधित उपबंधों को भी सम्मिलित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 9** इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता की परिधि का और विस्तार करने के लिए, "प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययो का प्रभाजन" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 10** संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 92क के अधीन संग्रहीत कर की रकम को प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए

आवर्त के मूल्य से अपवर्जित करने के लिए "इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 11** "रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्तियों" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य के विशेष श्रेणी के राज्यों में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवर्त की ऊपरी सीमा को बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 12** "कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केवल उन ई-कामर्स प्रचालकों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध किया जा सके जो मूल अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करने के लिए दायी हैं ।

विधेयक का **खंड 13** "रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है, जिससे ऐसे व्यक्तियों, जिनके किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के बहुलक स्थानों को कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके और किसी विशेष आर्थिक जोन में या विशेष आर्थिक जोन से बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाइयों से सुभिन्न विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप में इकाइयां रखने वाले व्यक्ति के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध अंत:स्थापित किए जा सके ।

विधेयक का **खंड 14** "रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जिससे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रक्रियाधीन होने के समय रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी रद्दकरण का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 15** "जमापत्र और नामे नोट" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है, जिससे किसी वित्त वर्ष में जारी बहुलक बीजकों के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को समेकित प्रत्यय या नामे नोट जारी करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 16** "लेखा और अन्य अभिलेख" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन है, को अपनी लेखा बहियों की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने की आवश्यकता न हो ।

विधेयक का **खंड 17** "विवरणियां देने" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करने के लिए है, जिससे त्रैमासिक विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया के लिए

कर के मासिक संदाय को विहित करने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 18** विवरणियां प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए प्रक्रिया विहित करने का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 43क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 19** "माल और सेवा कर व्यवसायी" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने के लिए है, जिससे माल और सेवा कर व्यवसायियों को प्रतिदाय दावा फाइल करने, रजिस्ट्रीकरण, आदि को रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने जैसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 20** "कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए तभी किया जा सकता है जब केन्द्रीय कर के खाते में इनपुट कर प्रत्यय का शेष, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपलब्ध नहीं हो ।

विधेयक का **खंड 21** दो नई धाराओं, अर्थात् धारा 49क और धारा 49ख का अंत:स्थापन करने के लिए है । धारा 49क यह विनिर्दिष्ट करने के लिए है कि करदाता केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लेखे में इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने के लिए उसे एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए उपलब्ध कर के लेखे सभी प्रत्यय की समाप्ति के पश्चात् ही समर्थ होगा । धारा 49ख, सरकार को किसी कर का संदाय करने के लिए किसी कर के इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग के किसी विनिर्दिष्ट क्रम को विहित करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 22** धारा 39 के प्रति निर्देश देने की दृष्टि से "स्रोत पर कर का संग्रहण" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 52 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 23** "कर का प्रतिदाय" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अन्यायपूर्ण प्राप्ति के मूल को विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या इकाई को की गई माल या सेवा या दोनों की पूर्ति से उद्भूत प्रतिदाय के दावे की दशा में लागू किया जाएगा और सेवा के निर्यात की दशा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जहां अनुज्ञात किया जाए, संदाय की प्राप्ति को भारतीय रुपए में अनुज्ञात किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 24** "कर की वसूली" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 79 का संशोधन करने के लिए है जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अन्य स्थापनों से त्वरित वसूली को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्तियों से वसूली के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 25** "अपील प्राधिकारी को अपीलें" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 107 का संशोधन करने के लिए है जिससे अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने के लिए संदेय जमा-पूर्व की रकम की ऊपरी सीमा को पच्चीस करोड़ रुपए विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 26** "अपील अधिकरण को अपीलें" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है जिससे अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए संदेय जमा-पूर्व की रकम की ऊपरी सीमा को पचास करोड़ रुपए विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 27** "माल का निरोध, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में वाहन" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 129 का संशोधन करने के लिए है जिससे उस समय सीमा को, जिससे पूर्व धारा 130 के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की जा सकती हैं, सात दिन से बढ़ाकर चौदह दिन किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 28** "इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है जिससे 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से यह स्पष्ट किया जा सके कि माल और सेवा कर पूर्व विधियों के अधीन उद्गृहीत उपकर और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़े की चीजों पर) माल और सेवा कर के अधीन संक्रमणकालीन इनपुट कर प्रत्यय का भाग नहीं होगा ।

विधेयक का **खंड 29** "जॉब कार्य की प्रक्रिया" से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयुक्त को, जॉब कार्य पर इनपुट और पूंजी माल की वापसी की समय सीमा को क्रमश: एक वर्ष और दो वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तार करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 30** "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें पूर्ति के रूप में माना जाएगा तब भी, यदि उन्हें बिना प्रतिफल के लिए किया गया" से संबंधित मूल अधिनियम की अनुसूची 1 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 31** मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के शीर्ष को "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा" से "क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा" करने का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 32** "ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति" से संबंधित मूल अधिनियम की अनुसूची 3 का संशोधन करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 13 केन्द्रीय सरकार को, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के बहु स्थान रखने वाले व्यक्तियों को कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अनुज्ञा देने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 14 केन्द्रीय सरकार को, उस समय रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है, जब रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना प्रक्रियाधीन हो ।

विधेयक का खंड 17 केन्द्रीय सरकार को, विवरणियों को फाइल करने और करों का संदाय करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 18 केन्द्रीय सरकार को, विवरणियां प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 21 केन्द्रीय सरकार को, किन्हीं करों के इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट आदेश विहित करने हेतु सशक्त करता है ।

2. ऐसे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों से संबंधित विषय हैं और स्वयं विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं ।

* * * * * *

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है ;

* * * * * *

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित है,--

* * * * * *

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति ; और

* * * * * *

(18) "कारबार शीर्षका" से किसी उद्यम का ऐसा विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे व्यष्टिक, माल या सेवाओं या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के समूह की पूर्ति में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिमों और प्रत्यागमों के अध्यधीन है, जो अन्य कारबार शीर्षकाओं के जोखिम और प्रत्यागमों से भिन्न है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं संबंधित है या नहीं, निम्नलिखित है,--

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों का प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के वितरण में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं लागू है), इसके अन्तर्गत बैंककारी बीमा या लोक उपयोगिताएं है ;

* * * * * *

1959 का 23

(35) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत हैं,--

* * * * * *

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

* * * * * *

(102) '"सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य पद्धति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्नलिखित है ;

* * * * * *

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

पूर्ति का विस्तार क्षेत्र ।

7. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "पूर्ति" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गाय या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अन्तरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी रूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माने गए क्रियाकलाप ।

* * * * * *

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,--

(क) माल की पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा; या

(ख) सेवाओं की पूर्ति के रूप में, न कि माल की पूर्ति के रूप में, माना जाएगा ।

* * * * * *

9. (1) * * * * * उद्ग्रहण और संग्रहण ।

(4) किसी ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में केन्द्रीय कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

* * * * * *

10. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं थी, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के बदले, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,-- संयुक्त उद्ग्रहण ।

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, रपाज्य में के आवर्त या संघ राज्येक्षेत्र में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने मेंलगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के ढाई प्रतितशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) अन्य पूर्तिकारों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रुपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प जुनने का पात्र होगा, यदि,--

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है ;

* * * * * *

अध्याय 4

पूर्ति का समय और मूल्य

12. (1) * * * * * माल की पूर्ति का समय ।

(2) माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की

अपेक्षा है ; या

* * * * * *

सेवाओं की पूर्ति का समय ।

13. (1) * * * * *

(2) सेवाओं के पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतम होगा, अर्थात् :--

(क) पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(क) उस मामले में, जहां (क) या खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-बहियों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है :

परन्तु जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई रकम प्राप्त करता है, वह पूर्ति का समय, ऐसी अधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी अधिक्य रकम से संबंधित बीजक जारी करने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए–

(i) पूर्ति को उस विस्तार तक कियी गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अन्तर्गत आती है ;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा-बहियों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

* * * * * *

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें ।

16. (1) * * * * *

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको की गई किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,--

* * * * * *

(ख) उसने माल या सेवाओं या दोनों को प्राप्त न कर लिया हो ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां पूर्तिकार द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या

ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है ;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी पूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

* * * * * *

17. (1) * * * * * प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन ।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे पूर्ति, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर के संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा ।

* * * * * *

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :--

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, तब के सिवाय जब उनका उपयोग,--

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियों के लिए किया जाता है, अर्थात् :--

(अ) ऐसे यानों या प्रवहणों के और पूर्ति के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहणों की आगे चालन, उड़ान, नौपरिवहन संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित पूर्ति के लिए :--

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के कारक के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,--

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित करती है, जिनका

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आवक पूर्ति का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय पूर्ति करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के भागरूप किया जाता है ; और

(iv) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रावकाश पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे ।

* * * * * *

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति ।

20. (1) * * * * *

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

* * * * * *

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही ऐसे माल की, जो कराधेय नहीं है, पूर्ति में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है ।

* * * * * *

कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण ।

24. धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,--

* * * * * *

(x) प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक ;

* * * * * *

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।

25. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिन पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्र सागर-खंड से पूर्ति करता है, ऐसे तटीय राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की वांछा करने वाले व्यक्ति को किसी

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में बहुशीर्ष का कारबार करने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक शीर्ष का कारबार के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा करेगा ।

* * * * * *

29. (1) * * * * * रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है ।

* * * * * *

34. (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर, ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां पूर्तिकार द्वारा पूर्ति किए गए माल को प्राप्तिकर्ता द्वारा वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट करने वाला जमापत्र जारी कर सकेगा । जमापत्र और नामे नोट ।

* * * * * *

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर को ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को, ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाए, अंतर्विष्ट करने वाला नामे नोट जारी करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 8

लेखा और अभिलेख

35. (1) * * * * * लेखा और अन्य अभिलेख ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक जाता है, अपने लेखा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज, ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए ।

* * * * * *

39. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से विवरणियां देना ।

भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रानिक रूप में, माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, की विवरणी ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन का या उससे पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, देगा ।

* * * * * *

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर, ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा ।

* * * * * *

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए, उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां सूचना में आई हैं, दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, इसमें जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की अंतिम तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

माल और सेवा कर व्यवसायी ।

48. (1) * * * * *

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे, धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

* * * * * *

अध्याय 10

कर का संदाय

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय ।

49. (1) * * * * *

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वःनिर्धारित इनपुट कर प्रत्यय को उसके इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 41 के

अनुसरण में जमा किया जाएगा ।

* * * * * *

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में—

* * * * * *

(ग) राज्य कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम की उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

* * * * * *

52. (1) * * * * * स्रोत पर कर का संग्रहण ।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे, धारा 37 के अधीन पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत तत्समान ब्यौरों के साथ मेल नहीं खाते हैं तो इस फर्क दोनों व्यक्तियों को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी ।

* * * * * *

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. (1) * * * * * कर का प्रतिदाय ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदेय रकम को निधि में जमा किए जाने के स्थान पर आवेदक को उसका संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य अंकित माल या सेवा या दोनों की शून्य रेटेड पूर्तियां या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य रेटेड पूर्तियों के लिए किया गया है, पर संदत्त कर के प्रतिदाय ;

* * * * * *

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो या आवेदक द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को संक्रान्त नहीं किया हो; या

* * * * * *

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. (1) * * * * * अपील प्राधिकारी को अपीलें ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक

यदि अपीलकर्ता ने–

* * * * * *

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में कर की बकाया रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया हो ।

* * * * * *

अपील अधिकरण को अपील ।

112. (1) * * * * *

(8) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित का संदाय न कर दे,--

* * * * * *

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत होने वाले विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि ।

* * * * * *

माल का निरोध, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में वहन ।

129. (1) * * * * *

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो धारा 130 के उपबंधों के अनुसार आगे और कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परंतु जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल शीघ्र नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी ।

* * * * * *

इनपुट का प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यस्थाएं ।

140. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने वाले से भिन्न है, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत करने के लिए नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में विवरणी में अग्रनीत विद्यमान सेनवेट प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का, विहित की जाने वाली रीति में हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, अर्थात् :--

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है ; या

(ii) जहां उसने नियत दिन के तुरन्त पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां नहीं दी है ; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट की अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्मित और निकासी किए गए मालों से संबंधित है ।

* * * * * *

स्पष्टीकरण 1--उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए नियत दिन को स्टाक में पारित इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों के स्टाक में अन्तर्विष्ट इनपुटों के संबंध में "पात्र शुल्क" से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

* * * * * *

(iv) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ;

1978 का 40

* * * * * *

स्पष्टीकरण 2--उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के संबंध में "पात्र शुल्क और कर" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

* * * * * *

(iv) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ;

1978 का 40

* * * * * *

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143. (1) * * * * * जॉब कार्य की प्रक्रिया ।

(ख) छुटपुट कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी लाभ कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर से संदाय के बिना अर्थात उसके साथ जैसी स्थिति हो कर के संदाय पर छुटपुट कर्मकार के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, आपूर्ति करेगा :

परन्तु यह कि प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान उस दशा के सिवाए कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—

(i) जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

* * * * * *

अनुसूची 1

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप डिन्हें पूर्ति के रूप में माना जाएगा तब भी उन्हें यदि बिना प्रतिफल के किया गया

* * * * * *

4. कारबार को अग्रसर करने या उसके अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात ।

* * * * * *

अनुसूची 2

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा

* * * * * *

MGIPMRND—1404LS(CRC)—6-8-2018.